रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14032024-252945
CG-DL-E-14032024-252945

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1199] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 12, 2024/फाल्गुन 22, 1945
No. 1199] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 12, 2024/PHALGUNA 22, 1945

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

[दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग]

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 फरवरी, 2024

का.आ. 1261(अ).—सेवाओं या फायदों या सहायिकियों के परिदान के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है, तथा फायदाग्राहियों को सुविधापूर्वक और निर्बाध रीति मे उनकी हकदारियों को सीधे ही प्राप्त करने समर्थ बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए बहुल दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता हैं।

और भारत सरकार में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (जिसे इसमें इसके पश्चात् विभाग कहा गया है), का जमीनी स्तर पर व्यापक पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के लिए जिला दिव्यांगता पुनर्वास केंद्र (डीडीआरसी) (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) नामक एक केंद्रीय क्षेत्रक स्कीम का संचालन कर रहा है और यह पुनर्वास वृत्तिकों के प्रशिक्षण और पुनर्वास जागरूकता सृजन हेतु जिला स्तर में अवसंरचना और क्षमता निर्माण को सुकर बनाता है जिसे जिला प्रबंधन टीम (डीएमटी) (जिसे इसमें इसके पश्चात कार्यान्वियन अधिकरण कहा गया है) के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है।

और इस स्कीम के अधीन, वर्तमान स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुसार, व्यष्टिक फायदाग्राहियों को व्यापक पुनर्वास सेवाएं प्रदान की जाती हैं और पुनर्वास पर जागरूकता सृजन और पुनर्वास वृत्तिकों का प्रशिक्षण (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रसुविधा कहा गया है) की सेवाएं दिव्यांगजनों (जिसे इसमें इसके पश्चात फायदाग्राही कहा गया है) को प्रदान की जाती है;

और स्कीम के कार्यान्वयन में भारत की संचित निधि से उपगत आवर्ती व्यय अंतवर्लित हैं;

और इस विभाग ने पूर्व में 27 अप्रैल, 2017 की अधिसूचना संख्या 22-336 (53)/2017-डीडीआरसी के द्वारा दिव्यांगजनों के लिए जिला दिव्यांगता पुनर्वास केंद्र (डीडीआरसी) के लिए आधार को एक पहचान दस्तावेज के रूप में अधिसूचित किया था;

इसलिए, अब दिनांक 27 अप्रैल, 2017 के अधिसूचना सं. का.आ. 1342 (अ.) [फा.सं. 22-336(53)/2017-डीडीआरसी] के अधिक्रमण में और आधार (वित्तीय और अन्य सहायकियों प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के अनुसरण में, केंद्रीय सरकार इसके द्वारा निम्नलिखित अधिसूचित करती है, अर्थात्: –

1. (क) स्कीम के धीन प्रसुविधा प्राप्त करने हेतु पात्र व्यष्टि को अपनी आधार संख्या रखने का प्रमाण प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा या आधार अधिप्रमाणन कराना होगा;

(ख) इस स्कीम के अधीन प्रसुविधा प्राप्त करने हेतु इच्छुक ऐसे किसी भी व्यष्टि, जिसके पास आधार संख्या नहीं है, या जिसने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं किया है, को इस स्कीम के लिए रजिस्ट्रीकरण करने से पूर्व आधार नामांकन के लिए आवेदन करना अपेक्षित होगा, परन्तु वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार आधार अभिप्राप्त करने का हकदार हो, और ऐसा व्यष्टि आधार के लिए नामांकित होने के लिए किसी भी आधार नामांकन केंद्र (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) वेबसाइट www.uidai.gov.in पर सूची उपलब्ध है) पर जाएगा;

(ग) आधार (नामांकन और अद्यतन, विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, विभाग को अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से उन फायदाग्राहियों के लिए आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करना आवश्यक है, जिन्होंने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं किया है और यदि संबंधित ब्लॉक या तालुका या तहसील में कोई आधार नामांकन केंद्र अवस्थित नहीं है, तो विभाग अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से भारतीय विशिष्ट पहचान प्रधिकरण (यू आई डी आई ए) के विद्यमान रजिस्ट्रारों के समन्वय से या स्वयं यूआईडीएआई रजिस्ट्रार बनकर सुविधाजनक अवस्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करेगा:

परन्तु कि जब तक ऐसे व्यष्टि को आधार नियत नहीं हो जाता, तब तक निम्नलिखित दस्तावेजों के प्रस्तुत होने के अध्यधीन रहते हुए, इस स्कीम के अधीन ऐसे व्यष्टि को प्रसुविधा दी जाएगी, अर्थात्:-

(क) यदि उसने नामांकन किया है, तो उसकी आधार नामांकन पहचान पर्ची; और

(ख) निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक, अर्थात्:-

(i) फोटो के साथ बैंक या डाकघर पासबुक; या

(ii) स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड; या

(iii) पासपोर्ट; या

(iv) राशन कार्ड; या

(v) मतदाता पहचान पत्र; या

(vi) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कार्ड (मनरेगा); या

(vii) किसान फोटो पासबुक; या

(viii) मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकरण द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति; या

(ix) राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा शासकीय लेटर हेड पर जारी ऐसे व्यक्ति का फोटोयुक्त पहचान प्रमाण पत्र; या

(x) विभाग द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज:

परन्तु यह और, कि उपरोक्त दस्तावेजों को उस प्रयोजन के लिए विभाग द्वारा विनिद्रिष्ट रूप से अभिहित अधिकारी द्वारा जांचा जा सकेगा।

2. इस स्कीम के अधीन फायदाग्राहियों को सुविधाजनक रूप से प्रसुविधाएं प्रदान करने के लिए, विभाग अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से यह सुनिश्चित करने के लिए सभी अपेक्षित व्यवस्थाएं करेगा कि फायदाग्राहियों को स्कीम के अधीन आधार की आवश्यकता के बारे में जागरूक करने के लिए मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार दिया जाएगा।

3. उन सभी दशाओं में, फायदाग्राहियों के खराब बायोमेट्रिक्स के कारण या किसी अन्य कारण से फायदाग्राहियों के आधार अधिप्रमाणन असफल हो जाते हैं, वहां निम्नलिखित उपचारात्मक तंत्र अंगीकृत किए जाएंगे, अर्थात्: –

(क) खराब फिंगरप्रिंट गुणवत्ता की दशा में, अधिप्रमाणन के लिए आईरिस स्कैन या चेहरे (फेस) के अधिप्रमाणन की सुविधा को अंगीकृत किया जाएगा, और विभाग, अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से, निर्बाध रीति से प्रसुविधा प्रदान करने के लिए आईरिस स्कैनर या चेहरे (फेस) के साथ-साथ फिंगर-प्रिंट अधिप्रमाणन के लिए उपबंध करेगा;

(ख) फिंगरप्रिंट या आईरिस स्कैन या चेहरे (फेस) के अधिप्रमाणन के माध्यम से बायोमैट्रिक अधिप्रमाणन सफल नहीं होने की दशा, जहां भी संभव और स्वीकार्य हो, यथास्थिति सीमित समय वैधता वाले आधार वन टाइम पासवर्ड या समय-आधारित वन-टाइम पासवर्ड द्वारा किए जाएंगे;

(ग) अन्य सभी दशाओं में, जहां बायोमेट्रिक या आधार वन टाइम पासवर्ड या समय-आधारित वन-टाइम पासवर्ड अधिप्रमाणन संभव नहीं है, वहां स्कीम के अधीन वास्तविक (फिजिकल) आधार पत्र के आधार पर प्रसुविधाएं दी जा सकती हैं, जिसकी अधिप्रमाणिकता आधार पत्र पर मुद्रित त्वरित प्रतिक्रिया (क्यूआर) कोड के माध्यम से सत्यापित की जा सकती है और विभाग द्वारा त्वरित प्रतिक्रिया कोड रीडर की आवश्यक व्यवस्था अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से सुविधाजनक अवस्थानों पर प्रदान की जाएगी।

4. यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस स्कीम के अधीन कोई भी ईमानदार फायदाग्राही अपनी देय प्रसुविधाओं से वंचित न हो, विभाग अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से, 19 दिसंबर, 2017 (https://dbtbharat.gov.in/ पर उपलब्ध) के प्रत्यक्ष प्रसुविधा हस्तांतरण मिशन, कैबिनेट सचिवालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या घ - 26011/04/2017-डीबीटी में यथानिर्दिष्ट अपवाद रखरखाव (एक्सेप्शन हैंडलिंग) तंत्र का पालन करेगा।

5. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में प्रवृत होगी।

[सं. पी-13013/24/2023-यूडीआईडी/आईटी/सांख्यिकी]

राजीव शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

[Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan)]

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th February, 2024

S.O. 1261(E).—Whereas, the use of Aadhaar as an identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner by obviating the need to produce multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan), Ministry of Social Justice and Empowerment (hereinafter referred to as the Department) in the Government of India is administeringa Central Sector Scheme namely District Disability Rehabilitation Centre (DDRC) (hereinafter referred to as the Scheme) to provide comprehensive rehabilitation services at the grassroot level and also it facilitates creation of infrastructure and capacity building at the district level for awareness generation on rehabilitation and training of rehabilitation professionals, which is being implemented through District Management Team (DMTs) (hereinafter referred to as to the implementing agencies).

And whereas, under the scheme, comprehensive rehabilitation services are provided to the individual beneficiaries and the services of awareness generation on rehabilitation and the training of rehabilitation professionals (hereinafter referred to as benefits) is given to the persons with disabilities (hereinafter referred to the beneficiaries), as per the extant Scheme guidelines;

And whereas, the Scheme involve recurring expenditure incurred from the Consolidated Fund of India;

And whereas, this Department had earlier notified Aadhaar as an identity document for District Disability Rehabilitation Centre (DDRC), for Persons with Disabilities vide Notification No. 22-336(53)/2017-DDRC dated 27th April, 2017;

Now, therefore, in supersession of Notification No. S.O. 1342 (E) dated 27th April , 2017 [F. No. 22-336(53)/2017-DDRC] and in pursuance of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (*hereinafter referred to as the said Act*), the Central Government hereby notifies, the following, namely:-

1. (a) an individual eligible for receiving the benefits under the Scheme shall hereby be required to furnish proof of possession of the Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication;

(b) any individual desirous of availing benefits under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or, has not yet enrolled for Aadhaar, shall be required to make application for Aadhaar enrolment before registering for the Scheme provided that he is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the said Act, and such individual shall visit any Aadhaar enrolment centre (list available at the Unique Identification Authority of India (UIDAI) website www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar;

(c) as per the regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Department through its Implementing Agency, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Department through its Implementing Agency shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of Unique Identification Authority of India (UIDAI) or by becoming a UIDAI Registrar themselves:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefits under the Scheme shall be given to such individual, subject to the production of the following documents, namely :–

a. if he has enrolled, his Aadhaar Enrolment Identification slip; and

b. any one of the following documents, namely :-

(i) Bank or Post office Passbook with Photo; or

(ii) Permanent Account Number (PAN) Card; or

(iii) Passport; or

(iv) Ration Card; or

(v) Voter Identity Card; or

(vi) Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee card; or

(vii) Kisan Photo passbook; or

(viii) Driving license issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or

(ix) Certificate of identity having photo of such person issued by a Gazetted Officer or a Tehsildar on an official letter head; or

(x) any other document as specified by the Department:

Provided, further that the above documents may be checked by an officer specifically designated by the Department for that purpose.

2. In order to provide benefits to the beneficiaries under the Scheme conveniently, the Department through its Implementing Agency shall make all the required arrangements to ensure that wide publicity through the media shall be given to the beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar under the Scheme.

3. In all cases, where Aadhaar authentication fails due to poor biometrics of the beneficiaries or due to any other reason, the following remedial mechanisms shall be adopted, namely:-

(a) in case of poor fingerprint quality, iris scan or face authentication facility shall be adopted for authentication, and the Department through its Implementing Agency shall make provisions for iris scanners or face authentication along with finger-print authentication for delivery of benefits in seamless manner;

(b) in case the biometric authentication through fingerprints or iris scan or face authentication is not successful, wherever feasible and admissible authentication by Aadhaar One Time Password or Time-based One-Time Password with limited time validity, as the case may be, shall be offered;

(c) in all other cases where biometric or Aadhaar One Time Password or Time-based One-Time Password authentication is not possible, benefits under the Scheme may be given on the basis of physical Aadhaar letter whose authenticity can be verified through the Quick Response code printed on the Aadhaar letter and the necessary arrangement of QR code reader shall be provided at convenient locations by the Department through its Implementing Agency.

4. In order to ensure that no bonafide beneficiary under the Scheme is deprived of his due benefits, the Department through its Implementing Agency shall follow the exception handling mechanism as specified in the Office Memorandum of Direct Benefit Transfer Mission, Cabinet Secretariat, Government of India No. D-26011/04/2017-DBT, dated the 19th December 2017 (available on https://dbtbharat.gov.in/).

5. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all the States and Union territory.

[No. P-13013/24/2023-UDID/IT/STATISTICS]

RAJEEV SHARMA, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

AMIT KUMAR JAISWAL
Digitally signed by AMIT KUMAR JAISWAL
Date: 2024.03.14 00:54:21 +05'30'